



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024—आषाढ़ 28, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र. 381-P-2130463-इक्सठ-लोसेर-पी.एस.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्रम विभाग की निम्नानुसार नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित की समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.51	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा के अंतर्गत सेवा 12 पृथक्कीकरण हेतु आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.	45 दिवस	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.52	मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 58 (2) के अंतर्गत सेवा पृथक्कीकरण हेतु आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त	03 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.53	बीड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 31 (2) के अंतर्गत सेवा पृथक्कीकरण हेतु आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी.	03 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.54	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 20 (2) के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का दावा.	सहायक श्रमायुक्त	04 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.55	समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 7 (2) के अंतर्गत समान वेतन के लिये दावा.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी.	04 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.56	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 C (1) के अंतर्गत समझौता/अधिनिर्णय के पालन के संबंध में दावों की वसूली हेतु आवेदन.	उप श्रमायुक्त	04 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त
2.57	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 (4) के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान न करना.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी.	04 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.58	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अंतर्गत उपकर (10,00,000 Lakhs to 10 Crore) के प्रकरण.	श्रम पदाधिकारी	05 माह	सहायक श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	उप श्रम आयुक्त
2.59	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अंतर्गत उपकर (10,00,000 Lakhs to 50 Crore) के प्रकरण.	सहायक श्रमायुक्त	05 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.60	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अंतर्गत उपकर 50,00,00,001 या उससे अधिक.	उप श्रम आयुक्त/ अपर श्रमायुक्त.	05 माह	श्रम आयुक्त	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव
2.61	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत उपकर अपील.	उप श्रम आयुक्त/ अपर श्रमायुक्त.	05 माह	श्रम आयुक्त	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव
2.62	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 के अंतर्गत मांग पत्र एवं अन्य आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम पदाधिकारी.	02 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त
2.63	मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा अंतर्गत 40 एवं 39 विवाद एवं मांग पत्र संबंधी आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी.	05 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.64	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रक्रीण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 17 (1) एवं (2) अंतर्गत पत्रकार के संबंध में दावा प्रस्तुतीकरण के आवेदन.	उप श्रमायुक्त	05 माह	अपर श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.65	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मांग पत्र संबंधी आवेदन.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त / सहायक श्रमायुक्त.	01 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त.
2.66	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (की आदेशस्था) अधिनियम, 1961 की धारा 7 के अंतर्गत स्थाई अज्ञाओं में संशोधन हेतु.	उप श्रम आयुक्त/ अपर श्रमायुक्त.	06 माह	अपर श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	श्रम आयुक्त
2.67	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 12 के अंतर्गत गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान पदच्युति के कारण.	श्रम निरीक्षक	03 माह	श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त/ अपर श्रमायुक्त
2.68	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 13 के अंतर्गत मजदूरी में कटौती.	सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी.	03 माह	उप श्रमायुक्त	30 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रम आयुक्त

**नोट:-** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत मांग पत्र से संबंधित विवाद में समझौता वार्ता के समय पक्षों की सहमति से जो तिथि बढ़ाई जावेगी वह 1 माह की अवधि में नहीं जोड़ी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.